लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpinmp@sancharnet.in

क्रमांक/विद्या/ई/09/514 भोपाल दिनॉक 19/06/2009

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर
   मध्यप्रदेश
2. समस्त संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण संभाग,
   मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

**विषयः 01 जुलाई, 2009 से शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन–अध्यापन कार्य प्रारंभ करने विषयक।**

आपको ज्ञात ही है कि शिक्षक सत्र 2009–10, 01 अप्रैल से प्रारंभ होने के पश्चात् ग्रीष्मावकाश के बाद 01 जुलाई से विद्यालयों में अध्ययन–अध्यापन का दौर पुनः प्रारंभ होगा। यह शिक्षण सत्र इस मायने में महत्त्वपूर्ण है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, समय विभाग चक का निर्माण तथा प्रथम इकाई का अध्यापन अप्रेल माह में हो चुका है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि 01 जुलाई 09 से शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन का कार्य विधिवत् प्रारंभ हो जाये। 01 जुलाई को कक्षाएँ संचालित होना चाहिए। ग्रीष्मावकाश हेतु दिये गये गृह कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए, माह अप्रैल की इकाई की पुनरावृत्ति की जाये। प्राचार्य एवं शिक्षकों की दैनंदिनी में 01 जुलाई को पढ़ाई गई पाठ्यवस्तु का अंकन किया जाये। भले ही कक्षा में एक ही छात्र उपस्थित हो, कालखण्ड पूरे लगाये जायें, जिसमें प्राचार्य का निर्धारित कालखण्ड भी हो। यदि छात्र उपस्थिति नहीं भी हों तो भी शिक्षक कालखण्ड के अनुसार कक्षा में उपस्थित रहें।

यह देखने में आया है कि विद्यालयों में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राएँ अनावश्यक रूप से विद्यालय परिसर में घूमते रहते हैं तथा कई दिनों तक प्रवेश प्रक्रिया के नाम पर कक्षाओं में शिक्षण नहीं होता है। इस वर्ष यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रवृत्ति को कठोरतापूर्वक समाप्त किया जाये तथा पूर्व प्रवेशित तथा नवीन प्रवेश पाने वाले सभी छात्र–छात्राओं को कक्षाओं में बिठाकर सर्वप्रथम 01 जुलाई से ही कक्षा शिक्षण प्रारंभ किया जाये तथा कक्षा शिक्षण/शाला अध्यापन समय के पश्चात् नवीन प्रवेश आदि की

कार्यवाही की जाये। प्राचार्य अपने कक्ष में न बैठते हुए परिसर में भ्रमण करते रहें। कक्षा शिक्षण का निरीक्षण भी करें तथा कक्षा शिक्षण के अलावा अन्य समस्त कार्य शाला अध्यापन समय के बाद करें।

2/ स्कूल शिक्षा विभाग के सभी मैदानी अधिकारी 01 जुलाई से शिक्षण संस्थाओं का सघन निरीक्षण करेंगे तथा जिन संस्थाओं में यह पाया जाता है कि अध्ययन–अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ है, उन संस्थाओं के प्राचार्य तथा स्टाफ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।

3/ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 16/06/2009 को स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार जिले के समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी कलेक्टर के मार्गदर्शन में किसी एक शाला को गोद लेंगे। ये अधिकारी भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उस संस्था में 01 जुलाई से अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जाये।

4/ लोक शिक्षण संचालनालय के अर्द्ध शास. पत्र क्र. विद्या/ई/09/118 दिनॉक 26/09/2009 द्वारा शिक्षक सत्र 2009–10 में किये जाने वाले निम्नानुसार प्रमुख कार्यों के संबंध में समुचित निर्देश प्रसारित किये गये हैं:–

**शालावार वार्षिक कार्ययोजना, प्रवेश प्रक्रिया, समय विभाग चक्र, छात्र कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, निःशुल्क साइकिल वितरण, छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र भरवाना, विद्यार्थी सुरक्षा बीमा, गणवेश, मध्याह्न भोजन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हरियाली अभियान, शौचालय की व्यवस्था, स्वच्छ पेजयल, विषय शिक्षकों तथा प्राचार्यों का प्रशिक्षण, विद्यालय भूमि का नामांतरण, नेत्र परीक्षण एवं मुख परीक्षण, पालक शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन आदि।**

इसीप्रकार आयुक्त लोक शिक्षण एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र क्र. विद्या/ई/98/161, दिनॉक 02/03/2009 के संलग्न जारी वर्ष 2009–10 के शैक्षणिक कैलेण्डर में गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध अध्ययन–अध्यापन हेतु इकाईवार पाठ्यक्रम विभाजन, निदानात्मक कक्षाओं का आयोजन, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था आदि के संबंध में पर्याप्त निर्देश दिये गये हैं।

**उक्त दोनों निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईट www.sednmp.nic.in पर उपलब्ध है। इनका पालन सुनिश्चित किया जाये।**

**आशा है शासन की मंशा के अनुसार आपके प्रयास और सहयोग से सभी जिलों में 01 जुलाई 2009 से अध्ययन–अध्यापन कार्य विधिवत् प्रारंभ हो सकेगा।**

**(बी.आर.नायडू)**
आयुक्त
लोक शिक्षण एवं सचिव,
म. प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन / क्रमांक / विद्या / ई / 09 / 513 भोपाल, दिनॉक 19 / 6 / 2009

प्रतिलिपि

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा की ओर दिनांक 29.05.09 को ली गई समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशो के अनुकम में सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म. प्र. भोपाल
4. आयुक्त आदिवासी विकास म. प्र. भोपाल
5. आयुक्त जनसंपर्क म. प्र. भोपाल
6. समस्त जिला कलेक्टर म. प्र. भोपाल

आयुक्त
लोक शिक्षण एवं सचिव,
म. प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग